

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 15/2000 एस०टी०

संस्थापन दिनांक 3-1-2000

सत्र प्रकरण क्रमांक 18/2000

संस्थापन दिनांक 13-1-2000

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ

जिला भिण्ड म०प्र०

-----अभियोजन

बनाम

शिशुपाल सिंह पुत्र रसालसिंह निवासी ग्राम

मलपुरा रहावली थाना लहार जिला भिण्ड

म०प्र०

----- आरोपी

सत्र प्रकरण क्र०15/2000 एवं 18/2000 जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री ए०टोप्यो द्वारा आपराधिक प्र०कं० 82/99 एवं 81/99 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 4-1-2000 से उद्भूत ।

राज्य शासन द्वारा ए०पी०पी० श्री दीवानसिंह गुर्जर
आरोपी द्वारा श्री के०सी०उपाध्याय एवं श्री टी०एन०शुक्ला अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक को घोषित किया गया //

1- अभियुक्त का विचारण धारा 395 भा०द०सं० एवं धारा 136(एफ) एवं धारा 395 भा०द०सं० एवं 136(एफ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 25-11-98 की शाम 5:10 बजे प्राथमिक शाला भवन ग्राम अंधियारीकला के मतदान केन्द्र क्र०13/29 थाना मौ में तथा उसी दिनांक को शाम 5:20 बजे ग्राम अंधियारीखुर्द के मतदान केन्द्र क्र० 13/30 पर उनके द्वारा संयुक्त रूप से पीठासीन अधिकारी क्रमशः रामसिया शर्मा एवं नरेश सिंह भदौरिया तथा उनके मतदान पार्टी के सदस्यों को तत्काल मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध के भय में डालकर उनके कब्जे से मतपत्रों की भरी हुयी सीलबंद पेटी को लूटकर एतद् द्वारा डकैती कारित करने व उक्त कृत्य के द्वारा विधान सभा चुनाव के कार्य में अवैध रूप से बाधा उत्पन्न करने, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था ।

2- आरोपी द्वारा उक्त एक ही दिनांक पर अलग अलग समय पर एक ही आशय का अपराध करने का आरोप है, किन्तु अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग अपराध क्रमशः अप०क्र० 144/98 एवं 145/98 कायम किये गये हैं, तत्पश्चात् उनके पृथक पृथक उपार्पण किये जाने पर पृथक

पृथक रूप से सत्र प्रकरण के रूप में पंजीबद्ध है, उक्त कारण से दोनों ही सत्र प्रकरणों का समेकित रूप से एक साथ विचार किये जाने हेतु न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 29-4-2003 के अनुसार उनको एक साथ संलग्न किया गया है। अतः उक्त दोनों ही सत्र प्रकरणों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में वर्तमान आरोपी शिशुपाल निर्णय के पूर्व फरार हो गया था तथा शेष सह आरोपीगण प्रेमसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, गोविंद सिंह पुत्र छोटेसिंह, अनिल श्रीवास्तव पुत्र आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव, डॉ० केशवसिंह यादव पुत्र रामभरोसेसिंह, सीताराम पुत्र हरगोविंद, सुरेन्द्र सिंह पुत्र भगवानसिंह, मरजादसिंह पुत्र बिचित्र सिंह, मेघसिंह पुत्र उत्तमसिंह, अशोक सिंह पुत्र तिलकसिंह के संबंध में निर्णय पूर्व में दिनांक 27-2-2006 को हो चुका है।

3- अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 25-11-98 को मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में ग्राम अधियारीकला थाना मौ के मतदान केन्द्र क्रमांक 13/29 में पीठासीन अधिकारी रामसिया शर्मा तथा ग्राम अधियारीखुर्द के मतदान केन्द्र क्र० 13/30 के मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी नरेश सिंह भदौरिया मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् जब मतदान उपरांत पेटी सीलड कर लिफाफा तैयार कर रहे थे तो इसी दौरान 8-10 व्यक्ति मय बन्दूक के फायर करते हुये सीलड पेटी छीनकर जबरदस्ती ले गये। इस आशय की लिखित रिपोर्ट उनके द्वारा पृथक पृथक थाना मौ में की गयी जिस पर अपराध क्रमांक क्रमशः [144/98](#) एवं 145/98 दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान आरोपीगण के अपराध में संलग्न होना पाये जाने पर गिरफ्तारी की गयी और उनकी सिनाख्ती करायी गयी। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दोनों ही घटनाओं से संबंधित अपराध में संलग्न होना और कारित किया जाना पाये जाने से दोनों ही अपराधों के संबंध में पृथक पृथक अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किये गये, जो कि उर्पापण के पश्चात् विधिवत् निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4- उक्त दोनों सत्र प्रकरणों को आदेश दिनांक 29-4-2003 के अनुसार एक साथ संलग्न कर उनका एक साथ समेकित रूप से विचार किया गया है। अतः उक्त सत्र प्रकरणों के संबंध में संयुक्त रूप से एक ही निर्णय घोषित किया जा रहा है।

5- आरोपी के विरुद्ध दोनों ही प्रकरणों में पृथम दृष्टया धारा 395 भा०द०सं० एवं 135(एफ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का आरोपी पाये जाने से आरोपी को दोनों ही अपराधों के संबंध में पढकर सुनाया व समझाया गया जिसको आरोपी द्वारा अस्वीकार किया गया।

6- प्रकरण के निराकरण के संबंध में विचारणीय है कि :-

1-क्या वर्तमान विचारित आरोपी शिशुपालसिंह के द्वारा दिनांक 25-11-98 को 5:10 बजे मुकाम प्राथमिकशाला भवन ग्राम अधियारीकला मतदान केन्द्र क्र० 13/29 थाना मौ में संयुक्त रूप से मिलकर फरियादी रामसिया शर्मा पीठासीन अधिकारी मतदानकेन्द्र के साथ उसे तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध के भय में डालकर उसके कब्जे से मतपत्रों की भरी हुयी सीलबंद पेटी को लूटकर एतद् द्वारा डकेती कारित की ?

2-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने उक्त मतदान केन्द्र पर मतदान के पश्चात् मतपत्रों की सीलबंद पेटी उक्त पीठासीन अधिकारी से छीनकर ले जाकर विधान सभा के चुनाव

के कार्य में अवैध रूप से बाधा उत्पन्न की, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था ?

3-क्या उक्त दिनांक, पर शाम करीब 5:20 बजे मुकाम प्राथमिक शाला भवन ग्राम अंधियारी खुर्द मतदान केन्द्र क० 13/30 थाना मौ पर उक्त आरोपी ने मिलकर मतदान अधिकारी नरेश सिंह भदौरिया एवं पार्टी के सदस्यों को तत्काल मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध के भय में डालकर उनके कब्जे से मतपत्रों की भरी हुयी सीलबंद पेटी को लूटकर एतद् द्वारा डकैती कारित की ?

4-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त आरोपी ने उक्त मतदान के पश्चात् मतपत्रों की सीलबंद पेटी पीठासीन अधिकारी नरेश सिंह भदौरिया व मतदान पार्टी से छीनकर लेजाकर विधान सभा चुनाव के कार्य में बाधा उत्पन्न की, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था ?

5-क्या आरोपी द्वारा उक्त आशय के अपराध कारित किये गये ? यदि हां तो दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

//निष्कर्ष के आधार//

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 5:-

7- सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों पर समेकित रूप से एक साथ विचार किया जा रहा है, जिससे साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो ।

8- अभियोजन प्रकरण के संबंध में जो कि मतदान के दौरान दिनांक 25-11-98 को ग्राम अंधियारीकला पोलिंग वृथ क्रमांक 13/29 की घटना साम को 5:10 मिनट पर प्राथमिक शाला भवन ग्राम अंधियारीकला की होनी बतायी गयी है तथा इसी दिनांक को उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा दूसरे मतदान क्रमांक 13/30 ग्राम अंधियारीखुर्द में प्राथमिकशाला भवन में 5:20 मिनट पर कारित की जानी बतायी जा रही है और इस संबंध में पृथक पृथक रिपोर्ट उक्त दोनों केन्द्रों के पीठासीन अधिकारी के द्वारा की गयी है । इस आधार पर प्रथम सूचना क्रमांक 144/98 एवं 145/98 दर्ज किये गये हैं जो कि सूचना के आधार पर ग्राम अंधियारीकला के संबंध में प्र०पी०३ की एफ०आई०आर०दर्ज की गयी है और ग्राम अंधियारीखुर्द के संबंध में प्र०पी०२ की एफ०आई०आर० दर्ज की गयी है ।

9- सर्वप्रथम जहां तक उक्त दोनों ही मतदानकेन्द्रों पर चुनाव कार्य के दौरान पेटियां छीनकर चुनाव कार्य में बाधा उत्पन्न करने और इस आशय की घटना कारित करने का प्रश्न है इस बिन्दु पर रामसिया शर्मा अ०सा०१२ के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 25-11-98 को ग्राम अंधियारीकला में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ थे मतदान केन्द्र प्राथमिक शाला भवन था । उक्त दिनांक की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला था । मतदान समाप्त होने के बाद पेटी को सीलड कर दिया था एवं मतपत्र लेखा तैयार कर लिफाफे बना रहे थे । इसी दौरान 7-8 आदमी सफेद रंग की टाटासूमो गाडी में आये और उन्होंने बंदूकों से फायर प्रारम्भ कर दिया और जबरदस्ती मतपेटी छीनकर ले गये । साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया कि उनके साथ जे०पी०पाराशर, बेतालसिंह नरवरिया, जगदीश सिंह तथा पुलिस फोर्स के नाथुसिंह थे । घटना उन्होंने जोनल आफिसर को बतायी थी और थाना मौ में रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो कि लिखित रिपोर्ट प्र०पी० 2 है और उसके आधार पर प्र०पी०३ की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी जिसके बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं । आवेदनपत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०३ लेखबद्ध करना साक्षी बृजेन्द्र सिंह भदौरिया अ०सा०२ के द्वारा

बताया गया है ।

10— इस संबंध में अभियोजन साक्षी एवं घटना के सूचनाकर्ता नरेश सिंह भदौरिया अ0सा08 के द्वारा यह बताया गया है कि दिनांक 25-11-98 को मतदान केन्द्र क्रमांक 13/30 अंधियारी खुर्द में मतदान कराने गये थे । पांच बजे मतदान समाप्त होने के उपरांत पेटी सील कर रहे थे इसी दौरान कुछ लोग बंदूक लेकर आये और पेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गये । सभी लोग टाटा सूमो गाडी में आये थे । उन्होंने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना मौ में की थी जो प्र0पी0 2 है । इसके आधार पर प्र0पी0 3 की एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी थी जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार ग्राम अंधियारीकला की घटना के संबंध में सूचनाकर्ता/फरियादी रामसिया शर्मा अ0सा012 के द्वारा भी उनके मतदान केन्द्र पर मतपेटी की लूट होना और इस संबंध में उनके द्वारा प्र0पी0 2 की सूचना देना जिसके आधार पर प्र0पी03 की रिपोर्ट लिखा गया होना बताया है ।

11— अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षीगण रामप्रताप सिंह अ0सा07 जो कि पीठासीन अधिकारी एन0एस0भदौरिया के साथ चुनाव सम्पन्न कराने में उसकी ड्यूटी अंधियारी खुर्द में लगी हुयी थी तथा अरविंद प्रताप सिंह अ0सा03 जो कि आरक्षक होकर उक्त पोलिंग वूथ में तैनात था के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि उक्त मतदान केन्द्र पर पेटी सील होने पर 10-12 लोग बंदूक और हथियारों से लेस होकर मुंह बांधकर के टाटासूमो गाडी में आये थे और मतदान केन्द्र के अंदर घुसकर उन्हें डराधमकाकर पेटी छीनकर भाग जाना बताया है । ग्राम अंधियारीखुर्द की घटना के संबंध में पीठासीन अधिकारी नरेश सिंह भदौरिया के द्वारा बतायी जा रही घटना और इस बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का समर्थन अभियोजन के अन्य साक्षी प्रहलाद अ0सा013, मंशाराम अ0सा020, बेतालसिंह अ0सा023 जो कि चुनाव ड्यूटी में उक्त मतदान केन्द्र पर थे उनके द्वारा भी दस बारह लोग सफेद रंग की गाडी में बैठकर आना सभी का हथियार लिये होना और मतदान केन्द्र की जबरदस्ती पेटी छीन ले जाना बताया है । इसी प्रकार ग्राम अंधियारीकला में मतपत्र की पेटियों की लूट होने के संबंध में पीठासीन अधिकारी रामसिया शर्मा के कथन का समर्थन साक्षी नाथूराम पाराशर अ0सा016, चीनू अ0सा017, नरोत्तम अ0सा021, जे0पी0पाराशर अ0सा027 के कथनों से भी होता है ।

12— इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर दोनों ही मतदान केन्द्रों पर मतदान हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के साक्ष्य कथन में तथा अन्य साक्षियों के साक्ष्य कथन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों ही मतदान केन्द्रों पर 10-12 लोग जीप में हथियारों से लेस होकर आये थे और मतपेटियों को लूटकर ले गये थे । अब अभियोजन प्रकरण के संबंध में यह विचारणीय हो जाता है कि क्या उपरोक्त दोनों ही मतदानकेन्द्रों से मतपेटियों की लूट की उपरोक्त घटना में वर्तमान आरोपी के द्वारा संलिप्त होकर उक्त आपराधिक घटना कारित की ?

13— अभियोजन के द्वारा उपरोक्त दोनों घटनाओं के संबंध में प्रस्तुत सूचनाकर्ता/रिपोर्टकर्ता रामसिया शर्मा अ0सा012 एवं नरेश सिंह भदौरिया अ0सा08 के द्वारा वर्तमान विचारित किये जा रहे आरोपी की कोई पहचान नहीं की गयी है । साक्षी नरेश सिंह भदौरिया के कथन की कण्डिका -3 में स्पष्ट बताया है कि जो लोग मतदान केन्द्र पर घटना के समय आये थे वह मुंह को साफी से ढके हुये थे । कुछ लोग पेंट शर्ट पहने हुये थे । इसी प्रकार साक्षी रामसिया अ0सा012 के द्वारा भी कण्डिका-3 में बताया है कि

जो लोग पेटी छीनकर ले गये थे वह मुंह बांधे हुये थे । इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा भी कोई पहचान आरोपी की नहीं की जा सकी है । अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उक्त मतदान केन्द्रों पर उपस्थित बताये गये अन्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारियों अरविंद प्रताप सिंह अ०सा०३, रामप्रताप अ०सा०७, प्रहलाद अ०सा०१३, नाथूराम पाराशर अ०सा०१६, चीनू अ०सा०१७, मंशाराम अ०सा०२०, बेताल अ०सा०२३, जे०पी०पाराशर अ०सा०२७ के द्वारा भी आरोपियों के मुंह ढककर आना और उनकी कोई पहचान न पाना बताया है । इस संबंध में साक्षी अरविंद सिंह अ०सा०३, प्रधान आरक्षक नाथूराम पाराशर अ०सा०१६ एवं चीनू अ०सा०१७ जो कि पोलिंग वूथ पर ड्यूटी पर था उसके द्वारा भी कहीं वर्तमान आरोपी की कोई पहचान नहीं की गयी है । उसे अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है । इस प्रकार उसके कथन के आधार पर भी आरोपी की कोई पहचान स्थापित नहीं होती है ।

14— अभियोजन साक्षी नरोत्तम अ०सा०२१ तथा नरेन्द्र सिंह अ०सा०२८ जो अभियोजन के द्वारा घटना के समय उपस्थित आरोपियों के संबंध में अभिकथन कर रहे हैं को पेश किया गया है । साक्षी नरोत्तम अ०सा०२१ के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानना बताते हुये यह कथन किया है कि २५ तारीख सन् १९९८ को विधानसभा चुनाव के दौरान वह अपनी वहन के यहां ग्राम अधियारीकला में कमलसिंह के यहां गया था । शाम को पांच बजे की बात है वह कमलसिंह के मकान के सामने स्कूल के पास खड़ा था वहां पर बोट डाले जा रहे थे इसी समय एक गाड़ी सफेद कलर की टाटा सूमो आयी जिसमें १०-१२ लोग उतरे जिसमें ४-५ लोगों के पास बंदूकें थी और कुछ खाली हाथ थे बंदूक वालों ने बंदूकों से फायर किया था । साक्षी ने उस समय आरोपी शिशुपाल सिंह की उपस्थिति एवं उसे बंदूक लिए हुये होना बताया है ।

15— अभियोजन साक्षी नरेन्द्र सिंह अ०सा० २८ जो कि ग्राम अधियारीखुर्द के संबंध में है के द्वारा बताया गया है कि उसकी बहन उक्त गाँव में वियाही है और वह उक्त गाँव में टैक्टर लेने गया था और टैक्टर लेकर मतदान केन्द्र के पास से निकल रहा था तो शाम को पांच बजे के करीब टाटासूमो गाड़ी मिली थी वे लोग रसालसिंह, मुलायमसिंह के नारे लगा रहे थे। उक्त साक्षी के कथन में वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी शिशुपालसिंह को उक्त घटना स्थल पर मौजूद होने का तथ्य नहीं बताया है। ए.जी.पी. के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने आरोपी शिशुपालसिंह का नाम अपने कथन प्र.पी. १६ में ना बताना अभिकथित किया है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी नरेन्द्र अ०सा०२८ जो कि घटना के संबंध में अभियोजन प्रकरण का आंशिक रूप से समर्थन किया है उसके कथन में वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी शिशुपाल की घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित करने का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है । इस प्रकार आरोपी शिशुपाल के संबंध में वर्तमान साक्षी के साक्ष्य कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि नहीं होती ।

16. इस प्रकार वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी शिशुपालसिंह की घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद होने की बात अभियोजन साक्षी नरोत्तमसिंह अ०सा० २१ के द्वारा बताया गया है। उक्त साक्षी की घटना के समय घटना स्थल पर मौजूदगी तथा उसके द्वारा घटना देखे जाने और उसके साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कुछ आरोपियों के नाम बताये हैं जिसमें कि वर्तमान आरोपी शिशुपाल का

नाम भी बताया गया है और उनके संबंध में यह बताया है कि बंदूक लिये हुये थे और बांकी खाली हाथ थे उस संबंध में न्यायालय के द्वारा साक्ष्य लेखबद्ध करते समय इस बात का नोट लगाया गया है कि साक्षी के द्वारा काफी सोचसमझकर जवाब दिया जा रहा है और उससे यह कहा गया कि यदि आरोपियों को पहचानता है तो उनका नाम तत्काल बताये । प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कण्डिका 8 में बताया है कि चार पांच लोग मुंह बांधे हुये थे उन्हें वह नहीं पहचान पाया था । यहां पर उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि पांच सात दिन बाद पुलिस ने उसका बयान लिया था । कण्डिका 20 में साक्षी के द्वारा बताया गया कि उसके पिता का नाम पुरषोत्तम नहीं है और उसके पिता का नाम बदन सिंह भी नहीं है और कण्डिका 21 में बताया है कि उसके पिता का नाम बलवंत सिंह है । उसने पुलिस को अपने पिता का बदनसिंह नहीं बताया था । यह उल्लेखनीय है कि साक्षी नरोत्तमसिंह अ०सा०२१ के द्वारा अपने पिता का नाम बलवंत सिंह बताया है । जबकि साक्ष्य सूची में कोई भी ऐसा साक्षी मौजूद नहीं है जो कि नरोत्तमसिंह पुत्र बलवंत सिंह के नाम का हो और इस आशय का भी कोई स्पष्टीकरण विवेचना अधिकारी के द्वारा नहीं आया है कि इस साक्षी नरोत्तम के पिता का नाम गलत रूप से लेख किया गया है । इस संबंध में अप०क्र० 145/98 की साक्ष्य सूची के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि नरोत्तमसिंह के पिता का नाम पुरषोत्तम लिखा गया है और उक्त साक्षी मात्र जप्ती के बिन्दु का साक्षी है । उक्त साक्षी का धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत कोई भी कथन लेखबद्ध किया गया हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है और न ही उक्त साक्षी नरोत्तमसिंह के पिता का नाम बदनसिंह है । इस प्रकार उक्त साक्षी की पहचान के संबंध में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है ।

17— इसके अतिरिक्त आरोपी नरोत्तमसिंह अ०सा०२१ जो कि ग्राम हरजुपुरा का निवासी है और उसकी घटना दिनांक को ग्राम अंधियारीकला में उपस्थिति भी संदिग्ध है। उक्त साक्षी जो कि घटना के संबंध में मात्र चांस विटनिस की हैसियत रखता है । उसके द्वारा अपनी उपस्थिति इस आधार पर बतायी गयी है कि वह अपने वहन के ससुर जो कि बीमार थे उन्हें देखने के लिये ग्राम अंधियारीकला में गया था । किन्तु उसके घटना दिनांक को अंधियारीकला में मौजूद होने का तथ्य किसी भी अन्य साक्षी के कथन से संपुष्ट नहीं है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त साक्षी को ग्राम अंधियारीकला में घटना दिनांक को मौजूद होने का तथ्य आया है । इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी का घटना दिनांक को अथवा घटना के तुरन्त पश्चात् कोई कथन लिया गया हो जिससे कि उसकी गांव में मौजूदगी का तथ्य संपुष्ट होता हो इस आशय का भी कोई साक्ष्य नहीं है ।

18— बचाव पक्ष अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा प्रकरण में पूर्व विचारित किये गये शेष आरोपीगण प्रेमसिंह वगैराह की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील सी०आर०ए०२७२/०६, २२१/०६, २४८/०६, २३२/०६, ३०१/०६ निर्णय दिनांक २१-१२-०९ में वर्तमान साक्षी नरोत्तमसिंह अ०सा०२१ को विश्वसनीय नहीं पाया गया है और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त दाण्डिक अपील में निर्णय कण्डिका-६,७,८,९,१० की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा विवेचना की जाकर उक्त निर्णय की कण्डिका ८ व ९ में स्पष्ट रूप से सभी तथ्यों का वर्णन करते हुये मात्र उसके साक्ष्य कथन पर विश्वास करते हुये इसी प्रकरण के अन्य सह आरोपियों प्रेमसिंह, केशवसिंह,

कूँअरसिंह और अशोक सिंह के विरुद्ध दोषसिद्ध ठहराये जाने को उचित नहीं पाया है । यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान विचारित किये जा रहे आरोपी शिशुपाल के संबंध में भी वही साक्ष्य मौजूद है जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त अपील में विचार में लिया गया है तथा विचार में लेने के उपरांत इस साक्ष्य कथन के आधार पर उसके साक्ष्य कथन के आधार पर दोषसिद्धी को उचित होना नहीं मानी गयी है । निश्चित तौर से जबकि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा उस साक्ष्य कथन जिसके आधार पर पूर्व में अन्य तीन सह आरोपीगण को न्यायालय के द्वारा दोषसिद्ध किया गया था उसे विश्वसनीय नहीं पाया है । ऐसी दशा में वर्तमान विचारित किये जा रहे आरोपी शिशुपाल के संबंध में भी उस साक्ष्य कथन विश्वसनीय मानते हुये मात्र उसके आधार पर जबतक उसकी संपुष्टि न हो दोष सिद्धी ठहराये जाने का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

19— अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी संजीव अ०सा०1 जो कि जप्ती प्र०पी०1 का साक्षी है उसके द्वारा कोई भी जप्ती सह आरोपी प्रेमसिंह से इन्कार किया है यद्यपि जप्ती पत्रक प्र०पी०1 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है । अन्य साक्षी प्रधान आरक्षक बीरेन्द्र सिंह भदौरिया प्रधान आरक्षक जिनके द्वारा लिखित आवेदनपत्र प्र०पी०3 के आधार पर प्र०पी०2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बतायी है । साक्षी नरोत्तमसिंह अ०सा०4, जयवीरसिंह अ०सा०5 जो कि सह आरोपी प्रेमसिंह से जप्ती के संबंध में गवाह हैं । प्रधान आरक्षक दशरथ सिंह अ०सा०6 जो कि आरोपी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में साक्षी है । कमलेश सिंह अ०सा०9 जो कि पोलिंग वूथ पर ऐजेंट के रूप में था जिसके द्वारा भी किसी आरोपी की कोई पहचान नहीं की गयी है । लक्ष्मणसिंह अ०सा०10 जो कि अधियारीखुर्द में चपरासी के रूप में था, सुरेश कुमार उर्फ कल्लू जो कि सह आरोपी कूँअरसिंह के गिरफ्तारी के संबंध में साक्षी है । रघुवीर सिंह अ०सा०18 जो कि सह आरोपी मेघसिंह की गिरफ्तारी का साक्षी है । साक्षी राजेन्द्र अ०सा०19 जो कि सह आरोपी गोविंद के संबंध में जप्ती का साक्षी है । गोपसिंह अ०सा०22 जो कि सह आरोपी मेघसिंह की जप्ती के संबंध में गवाह है तथा साक्षी एन०एल०पिम्पल घटनास्थल का नक्शा मौका प्र०पी०14 बनाया जाना और अनुसंधान के दौरान साक्षी लक्ष्मणसिंह और अरविंद प्रताप के कथन लेखबद्ध करना बताया है । सहायक उप निरीक्षक हरचरण लाल अ०सा०25 जिन्होंने कि अग्रिम विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्र०पी० बी 2 बनाया जाना तथा चीनू के कथन लेखबद्ध करना बताया है । उक्त साक्षीगण के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं होता ।

20— साक्षी उपनिरीक्षक ए०एस०सिकरवार अ०सा०26 जिन्होंने कि अग्रिम विवेचना के दौरान साक्षी कमलेश सिंह एवं नरेन्द्र सिंह, मंशाराम, रामप्रताप, प्रहलादसिंह के कथन लेखबद्ध करना । आरोपी प्रेमसिंह की गिरफ्तारी और उससे पेटी की जप्ती के बारे में बताया है । इस संबंध में सह आरोपी प्रेमसिंह से उसके मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती की कार्यवाही इस संबंध में जप्ती के स्वतंत्र साक्षी संजीव अ०सा०1 व नरोत्तम अ०सा०4 के कथनों से संपुष्टि नहीं है इस प्रकार उक्त जप्ती का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है और इसके आधार पर पर अभियोजन प्रकरण की संपुष्टि नहीं होती है ।

21— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना एवं विप्लेशन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में अभियोजन की संपूर्ण साक्ष्य पर विचार उपरांत अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है कि वर्तमान विचारित किये जा रहे आरोपी शिशुपाल के द्वारा उपरोक्त लूट की बतायी गयी घटना कारित की गयी और बेलेट

बॉक्स संबंधित पोलिंग वूथ अंधियारीकला एवं अंधियारी खुर्द से लूटकर ले गये । इस प्रकार आरोपी को आरोपित धारा 395 भा०द०सं० एवं धारा 135(एफ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का आरोप कदापि संदेह से परे प्रमाणित नहीं है और उसे उक्त धाराओं के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराये जाने का साक्ष्य न होने से आरोपी को उक्त धाराओं के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है ।

22— प्रकरण में सभी आरोपीगण का विचारण हो चुका है । ऐसी दशा में जप्त सुदा मतपेटी क्रमांक एम०पी०—0206816 जिसमें कि पानी से भीगे मतपत्र हैं तथा मतपेटी रखने का कपड़े का थैला अपील अवधि पश्चात् चुनाव अधिकारी /निर्वाचन अधिकारी को लोटाये जाने का आदेश दिया जाता है । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड